न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—185/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00060)

1. श्रीमती गोपी पत्नी कल्याण, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम खतेहपुरा, तहसील मजमवामगरामगढ जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामदयाल,
2. दिनेश,
3. रवि कुमार पुत्रान स्व. कैलाश जाति हरियाणा ब्राहाम्ण निवासीयान ग्राम खतेहपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारमागढ जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 08.08.2018

अपीलार्थी द्वारा यह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के आदेश दिनांक 14.05.2017 (प्रकरण संख्या 12/16) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.12.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 02.01.2017 को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाने तथा वास्ते तलबी विपक्षी तारीख पेशी दिनांक 27.01.2017 नियत की गई, तारीख पेशी दिनांक 27.01.2017 को पीठासीन अधिकार के न होने से अगली तारीख पेशी वास्ते तलबी दिनांक 14.02.2017 नियत की गई, नियत उक्त तारीख पेशी दिनांक 14.02.2017 को एड़वोकेट्स की हड़ताल होने के कारण वास्ते तलबी विपक्षी आगली तारीख पेशी दिनांक 20.04.2017 नियत की गई तथा नियत तारीख पेशी दिनांक 20.04.2017 को भी पूर्वानुसार अन्तिम अवसर दिया जाकर तारीख पेशी दिनांक 01.05.2017 नियत कर दी गई, उक्त नियत तारीख पेशी दिनांक 01.05.2017 के पश्चात् उक्त प्रकरण में कोई अगली तारीख पेशी नियत नही की गई, तलबी विपक्षीगण होनी थी। उन्होने कथन किया है कि पक्षकार तथा वादग्रस्त आराजीयात ग्राम खतेहपुरा ग्राम पंचायत बूज तहसील जमवारामगढ़ के है तथा न्याय आपके द्वार कैम्प ग्राम पंचायत बूज में दिनांक 10.05.2017 को आयोजित हुआ था इसके सम्बन्ध में भी विपक्षीया अपीलान्ट को कोई नोटिस बाबत सुनवाई व सबूत नही दिया गया, उक्त कैम्प में प्रस्तुत पत्रावली पेश ही नही हुई, जो आदेशिका से स्पष्ट है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट विपक्षीया आदि को बगैर किसी भी सूचना बाबत सुनवाई व सबूत का अवसर दिये ही आरबीट्रेरीली प्रस्तुत पत्रावली में दिनांक 14.05.2017 को न्याय आपके

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वार कैम्प पापड़ में निर्णित कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट स्वीकार कर लिख उक्त मनमाना कानूनन व न्याय तथा नैसर्गिक सिद्धान्तों की पूर्णतः व स्पष्ट अवहेलना व अनदेखी कर पारित अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के विपरित होने के कारण प्रथम दृष्टिया ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2017 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण विधिवत कार्यवाही के लिये रिमाण्ड फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की पैतृक भूमि हाल खसरा नम्बर 102 रकबा 0.01 हैक्टयर गै.मु.चाह जिसके गत खसरा नम्बर 45, खसरा नम्बर 98 रकबा 2.12 हैक्टयर जिसके गत खसरा नम्बर 42, खसरा नम्बर 114 रकबा 1.47 हैक्टयर जिसके गत खसरा नम्बर 54 भूमियॉ वाके ग्राम खतेहपुरा पटवार हल्का बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि है, जो रेस्पोडेन्ट्स की पैतृक संयुक्त खातेदारी आराजीयात है, जो पूर्व से ही नक्शा तरमीम शुदा आराजी थी, उक्त खातेदारी आराजीयात के नक्शें को संकुचित कर दिया गया और अपीलान्ट की खातेदारी आराजीयात खसरा नम्बर 103 जिसके गत खसरा नम्बर 46 थे, के नक्शे को बढ़ाकर नक्शा गलत तरमीम कर दिया गया, जो गलत है तथा हाल खसरा नम्बर 102 में बना चाहबल को भी हाल खसरा नम्बर 103 को तरमीम के अन्दर नक्शा तरमीम कर दिया गया जबकि पूर्व में नक्शे में उक्त चाहबल खसरा नम्बर 46 के नक्शा तरमीम के बाहर तरमीम शुदा था, इस प्रकार रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 102, 98, 114 की तरमीम पूर्व खसरा नम्बर 45, 42, 54 के नक्शा तरमीम से भिन्न तरमीम गत प्रकार से की गई है जिसे पूर्व अनुसार नक्शा दुरूस्त करवाये जाकर खसरा नम्बर 103 की नक्शा तरमीम की सीमाओं को घटाकर गत खसरा नम्बर 46 की भांति तरमीम करवाये जाने के रेस्पोडेन्ट को विधिक अधिकार प्राप्त है जिसके तहत रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लैण्ड होल्डर तहसीलदार से जॉच रिपोर्ट मंगवाई जाकर एवं प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2017 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 95 दिनांक 30.03.17 में खसरा नम्बर 102 गै0मु0 चाह वर्तमान में खसरा नम्बर 103 में स्थिति होना एवं नक्शा एकीकरण में (खसरा नम्बर 102 पुराना खसरा नमबर 4), खसरा नम्बर 44 में स्थित की खातेदारी दर्ज होना एवं नवीन नक्शें में व पुराने नक्शे में खसरा गै0मु0 चाह की स्थिति में अन्तर माना, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2017 को अनुचित नही ठहराया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि प्रथम तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपीलान्ट का प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 संयोजित कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 02.01.16 को अप्रार्थीगण के नोटिस जारी करने के आदेश हुऐ है किन्तु अपीलान्ट को उक्त तलबी नोटिस तामील हुऐ हो ऐसी कोई रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद नही है, द्वितीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 20.04.17 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.05.2017 नियत की गई है लेकिन दिनांक 01.05.17 को प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई, इसकी आदेशिका पत्रावली पर मौजूद नही है बल्कि सीधे ही आदेशिका पर ही दिनांक 14.05.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.17 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल एवं अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही एकतरफा मनमानी तौर पर नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया गया है जिसे कानूनी तौर पर उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।